

विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश

//शुद्धि पत्र//

दिनांक 12.07.2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढा जावे।

भाग - 2 नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
(1)	(2)	(3)	(4)
परि.अता.प्र.क्र.16 (क्र.200) प्र.(घ)	30	नहीं क्यों?	नहीं तो क्यों?
परि.अता.प्र.क्र.28 (क्र.422) प्र.(ग)	37	नाम कैसे	नाम कैसे
परि.अता.प्र.क्र.37 (क्र.662) प्र.(क)	43	समूह के मध्यम	समूह के माध्यम
परि.अता.प्र.क्र.39 (क्र.674) प्र.(क)	45	बस, बैन	बस, बैन
परि.अता.प्र.क्र.51 (क्र.815) प्र.(ख)	52	साध्यतता	साध्यता
परि.अता.प्र.क्र.118 (क्र.1180) प्र.(क)	98	किसानों फसल	किसानों को फसल

भाग - 3 अतारांकित प्रश्नोत्तर

अता.प्र.क्र.86 (क्र.1043) प्र.(ग)	157	पीड़ितों के	पीड़ितों के
अता.प्र.क्र.96 (क्र.1073) प्र.(क)	164	अधिकार	अधिकार
अता.प्र.क्र.111 (क्र.1131) उ.(क) एवं (ख) में	172	राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह रा.....लंबित	राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : (क) शिवपुरी जिला अंतर्गत तहसील करैरा, नरवर, शिवपुरी, पोहरी, पिछोर, खनियाधाना, कोलारस, बदरवास में नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, दुरस्ती, अवैध कब्जा हटाने के प्रकरण वर्ष 2020 से मई 2023 तक की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आज दिनांक तक शिवपुरी जिले के निराकरण एवं लंबित

नोट :- दिनांक 12.07.2023 की कतिपय प्रश्नोत्तर सूची में अता.प्र.सं.111 (क्र.1131) के उत्तर में मिस प्रिंट है जिसको शुद्धि पत्र के माध्यम से सुधारा गया है।

(1) तारा.प्रश्न संख्या-14 (क्र.109) का पृथकतः वितरित उत्तर पढा जावे।

(2) तारा.प्रश्न संख्या-01 (क्र.878) , 07 (क्र.1137) एवं 12 (क्र.28) का पृथकतः वितरित पुनरीक्षित उत्तर पढा जावे।

स्थान: विधान सभा भवन
भोपाल.

दिनांक: 11.07.2023

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.